भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 746

उत्तर देने की तारीख : 26.07.2021

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना

746. श्री नीरज डांगी :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत देश में स्थापित किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) : उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों का कुल करोबार कितना-कितना है; और

(ग) : गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) और (ख) : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-वित्त पोषित सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करना है। यह वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक डोमेन के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) यथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म / लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यम गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। मुद्रा पोर्टल पर एमएलआई द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश भर में 17.28 करोड़ से अधिक ऋण खातों को 9.80 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दिए गए ऋणों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।.

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय की सभी योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं जिनमें निधि के राज्य-वार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में उपलब्ध है। राजस्थान में विभिन्न योजनाओं (पिछले तीन वर्षों के दौरान) के तहत उपलब्धियों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 746, जिसका उत्तर दिनांक 26.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-2021	
		खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि करोड़ रु. में	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि करोड़ रु. में	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि करोड़ रु. में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3722	92	1,733	76	5,468	123
2	आंध्र प्रदेश	782707	11369	8,44,501	10,440	11,52,152	12,028
3	अरुणाचल प्रदेश	14455	118	23,288	156	6,159	179
4	असम	2422968	9938	16,68,347	7,789	11,89,829	7,657
5	बिहार	5999640	24406	67,14,655	27,442	53,06,694	25,589
6	चंडीगढ़	30015	426	24,313	404	20,295	449
7	छत्तीसगढ़	1201572	5953	12,61,018	6,959	10,27,266	6,747
8	दादरा और नागर हवेली	2900	45	2,899	44	3,787	53
9	दमन और दीव	681	19	766	25	1,140	28
10	दिल्ली	737717	5768	5,68,596	5,210	3,30,497	4,130
11	गोवा	44781	503	39,040	507	37,520	554
12	गुजरात	1826207	13217	20,96,393	13,746	14,30,956	11,579
13	हरियाणा	1081972	7526	11,55,917	7,859	10,05,453	7,552
14	हिमाचल प्रदेश	119595	2359	1,07,865	2,403	1,30,494	2,365
15	झारखंड	1436968	6989	17,20,485	7,964	16,68,281	8,471
16	कर्नाटक	5806936	29995	57,33,677	30,188	46,45,196	30,199
17	केरल	2121319	12178	21,77,873	13,146	15,86,258	11,416
18	लक्ष्य द्वीप	626	7	796	8	1,799	23
19	मध्य प्रदेश	3282723	17408	35,57,948	19,060	32,49,158	18,474
20	महाराष्ट्र	4385981	26439	47,71,032	27,903	37,54,163	25,209
21	मणिपुर	86139	361	90,175	413	69,906	435
22	मेघालय	35574	270	44,416	274	40,478	415
23	मिजोरम	15858	232	20,435	250	12,716	245
24	नागालैंड	17448	163	15,082	184	19,787	261
25	ओडिशा	4164432	15770	37,16,576	15,419	36,34,998	15,329
26	पुदुचेरी	177772	1249	1,39,522	764	1,08,775	619
27	पंजाब	1182936	8283	12,81,307	8,882	10,94,143	7,413
28	राजस्थान	2727579	17506	29,94,534	19,662	24,81,296	18,571
29	सिक्किम	26688	208	19,862	176	15,356	201
30	तमिलनाडु	7440662	34260	71,20,992	35,017	49,47,732	28,968
31	तेलंगाना	982204	7780	14,35,626	9,128	6,36,219	6,948
32	त्रिपुरा	441114	1854	3,97,094	1,583	3,26,855	2,117
33	संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर			1,55,153	3,552	2,94,501	5,513
34	संघ शासित क्षेत्र लद्दाख	133078	3404	5,602	178	8,477	228
35	उत्तर प्रदेश	4975961	26191	58,61,422	30,949	47,38,452	29,231
36	उत्तराखंड	303340	2974	3,01,996	2,945	3,01,870	3,101
37	पश्चिम बंगाल	5856048	26462	61,76,670	26,790	54,50,920	29,336
	कुल	**59870318**	**321723**	**6,22,47,606**	**3,37,496**	**5,07,35,046**	**3,21,759**

स्रोत- सदस्य ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा पीएमएमवाई पोर्टल पर अपलोड किया गया डाटा

अनुबंध-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 746, जिसका उत्तर दिनांक 26.07.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध-II

राजस्थान में विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों का विवरण (विगत तीन वर्षों के दौरान) नीचे दिया गया है:

तालिका-1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

वित्त वर्ष	सहायता की गई इकाइयों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख)	सृजित अनुमानित रोजगार
2018-19	2359	7199.28	18,872
2019-20	3025	8174.68	24,200
2020-21	2772	8806.83	22,176

स्रोत- केवीआईसी

तालिका-2 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम

वित्त वर्ष	अनुमोदित क्रेडिट सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)
2018-19	20,013	1148.29
2019-20	41,289	1997.79
2020-21	32,883	1440.58

स्रोत-सीजीटीएमएसई

तालिका-3 एमएसएमई को वृद्धिपरक ऋण के लिए ब्याज छूट स्कीम

वित्त वर्ष	लाभार्थी खातों की संख्या	ब्याज छूट की राशि (करोड़ रु. में)
2018-19	नवम्बर 2018 में स्कीम की घोषणा की गई	
2019-20	54,504	31.29
2020-21	30,632	19.64

स्रोत-सिडबी

तालिका-4 सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

वित्त वर्ष	पूर्ण अवसंरचना विकास केन्द्र (आईडी) परियोजनाएं	अनुमोदित अवसंरचना विकास केन्द्र (आईडी) परियोजनाएं	**कुल**
2018-19	1	1	2
2019-20	2	9	11
2020-21	9	9	18

स्रोत- विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

तालिका-5 सीएलसीएस-टीयूएस के तहत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी घटक

वित्त वर्ष	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या	सब्सिडी लाख रु. में
2018-19	590	4348.29
2019-20	437	3480.76
2020-21	501	4238.68

स्रोत- विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय